

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1472 / XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 03 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० नम्रता पाण्डेय, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ	1186/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, चम्पावत।	महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी (नैनीताल)	धारा-13(4) के अन्तर्गत गम्भीर रूप से रोगग्रस्त होने के दृष्टिगत सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत-किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

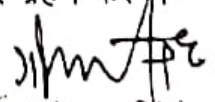
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(238)

JD (A)

4-7-26


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

CMO I
04/07/26

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:-1प/रा0पु0/7/2026/22152

देहरादून: दिनांक 01/जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय
आदेश संख्या-1472/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 03 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत/नैनीताल।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय चम्पावत।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/नैनीताल।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
8. गार्डफाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1473 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 03 जुलाई, 2026
आदेश

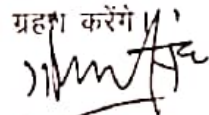
वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अभिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एन0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अभिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ अरिथ रोग विशेषज्ञ	1170/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़।	सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी (नैनीताल)	धारा-13(4) के अन्तर्गत गम्भीर रूप से रोगग्रस्त होने के दृष्टिगत सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय-से-प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

(2309)
JD (A)
4-7-26

CAO I
44
04/07/26

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष 0135-2608763, फैक्स 0135-2608746

संख्या:-1प/रा0पु0/7/2026/22153

देहरादून: दिनांक 05 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय
आदेश संख्या-1473/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 03 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
4. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सोबन सिंह जीना, बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/हल्द्वानी/नैनीताल।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
8. गार्डफाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1474 / XXVIII-1 / 01(04)2026
देहरादून: दिनांक 07 जुलाई, 2026
आदेश

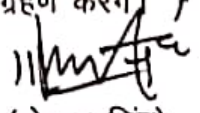
वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 सुनील कुमार झा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ	1164/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	बेस चिकित्सालय, कोटद्वार।	जिला चिकित्सालय, देहरादून	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा हृदय रोग से सम्बन्धित राज्य चिकित्सा परिषद के प्रमाण-पत्र के आधार पर धारा-7(घ)(3) के अन्तर्गत दुर्गम में स्थानान्तरण से छूट के अनुरोध में वर्णित विकल्प को स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

2306

JD(A)

4-7-26

CMO I

04/07/26

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:-1प/रा0पु0/7/2026/22154

देहरादून: दिनांक 04 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय
आदेश संख्या-1474/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 03 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मंहालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकित्सालय, कोटद्वार, पौड़ी।
5. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देहरादून।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
8. गार्डफाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1475 / XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक '03 जुलाई, 2026
आदेश

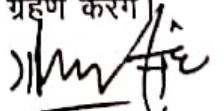
वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पीओएमओएचओएसओ संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० भुति शर्मा, निश्चेतक	1162/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	उप जिला चिकित्सालय, रुड़की (हरिद्वार)।	आईसीसीयू गांधी शताब्दी, देहरादून	धारा-7(घ)(2) के अन्तर्गत न्यूनतम 10 वर्ष की दुर्गम सेवा पूर्ण होने के दृष्टिगत सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

2307
TD(A)
4-7-26

4705
04/07/26

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहरत्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:-1प/रा0पु0/7/2026/22155

देहरादून: दिनांक 04 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय
आदेश संख्या-1475/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 03 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उपजिला चिकित्सालय, रुड़की, हरिद्वार।
5. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, (गांधी शताब्दी) देहरादून।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
8. गार्डफाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1476 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 03 जुलाई, 2026
आदेश

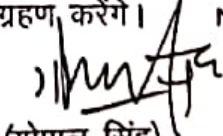
वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यस्थल	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 प्रताप सिंह रावत, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ	1149/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	एस0डी0एस0, रुड़की, हरिद्वार	सी0एच0सी0 डाईवाला, देहरादून (चिकित्सा अधीक्षक के रूप में)	धारा-13(4) के अन्तर्गत न्यूनतम 10 वर्ष की दुर्गम सेवा पूर्ण होने के दृष्टिगत सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

2316

JD(A)

4-2-26

CAO I

04/07/26

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:-1प/रा0पु0/7/2026/22156

देहरादून: दिनांक 04 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय
आदेश संख्या-1476/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 03 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
4. प्रमुख अधीक्षक, उपजिला चिकित्सालय, रुड़की, हरिद्वार।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
7. गार्डफाइल।

(प्रीति पन्त)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1477/XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 03 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन 'चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1' में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	1166/XXVIII- 1/01(04)2026, 29-06-2026	आई0सी0यू0 उप जिला चिकित्सालय, मेला (हरिद्वार)	(चिकित्सा अधीक्षक) उप जिला चिकित्सालय, विकासनगर, देहरादून	धारा-13(4) के अन्तर्गत गम्भीर रूप से रोगग्रस्त होने के दृष्टिगत सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

JD(A)
4-7-26

CM I
04/07/26

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:-1प/रा0पु0/7/2026/22157

देहरादून: दिनांक 04 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय
आदेश संख्या-1477/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 03 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उपजिला चिकित्सालय (मेला चिकित्सालय), हरिद्वार।
5. चिकित्सा अधीक्षक, उपजिला चिकित्सालय, विकासनगर, देहरादून।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
8. गार्डफाइल।


(प्रीति पन्त)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1476 / XXVIII-1 / 01(04)2026
देहरादून: दिनांक 03 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पीओएमओएचओएसओ संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० रजत कुमार सैनी, पैथोलॉजिस्ट	1276/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, बौराड़ी (टिहरी)।	जिला चिकित्सालय, हरिद्वार	धारा-7 (घ) (3) के अन्तर्गत गर्भीरूप से रोगग्रस्त होने के दृष्टिगत सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

2313

JD (A)
4-7-26

Ch I

04/07/26



कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष 0135-2608763, फैक्स 0135-2608746

संख्या:-1प/रा0पु0/7/2026/22158

देहरादून: दिनांक 04 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय
आदेश संख्या-1478/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 03 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
4. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरिद्वार।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
8. गार्डफाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1479/XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 03 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 संगीता शर्मा, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ	1272/XXVIII- 1/01(04)2026, 29-06-2026	उप जिला चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, टिहरी	उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून	धारा-13(4) के अन्तर्गत गम्भीर रूप से रोगग्रस्त होने के दृष्टिगत सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

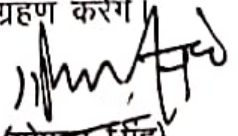

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(2312)
JD(A)
4-7-26

CM I
4/7/26


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:-1प/रा0पु0/7/2026/22159

देहरादून: दिनांक 04 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय
आदेश संख्या-1479/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 03 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/देहरादून।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उपजिला चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, टिहरी।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उपजिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
8. गार्डफाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1490 / XXVIII-1 / 01(04)2026
देहरादून: दिनांक 03 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 अली हैदर, चिकित्साधिकारी	1328/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	महिला चिकित्सालय, सिमली (बगेली)।	चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 प्रा0स्वा0के0 छिंदरवाला (देहरादून)	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संश्लिष्ट अभिलेखों से यह स्थापित हुआ है कि धारा-7(घ)(3) के अन्तर्गत गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांगता की श्रेणी में आने वाले कर्मिक, जो कि सक्षम प्राधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सुगम से सुगम कार्यस्थल पर सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में दर्जित विकल्प पर विचार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर मण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(2311)

JD (A)

4-7-26

CAO I

04/07/26

(गोपल सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:-1प/रा0पु0/7/2026/22160

देहरादून: दिनांक 04 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय
आदेश संख्या-1480/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 03 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
4. चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सिमली, चमोली।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
7. गार्डफाइल।

(प्रीति षन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1481 / XXVIII-1 / 01(04)2026
देहरादून: दिनांक 03 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवाओं के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 अमित शुक्ला, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	1261/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	आई0सी0यू0 उप जिला चिकित्सालय, भेला (हरिद्वार)	मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, देहरादून	धारा-13(4) के अन्तर्गत गम्भीर रूप से रोगग्रस्त होने के दृष्टिगत सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

2310
JD (A)
4-7-26

CAO I
04/07/26

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष 0135-2608763, फैंक्स 0135-2608746

संख्या:-1प/रा0पु0/7/2026/22161

देहरादून: दिनांक 05 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय
आदेश संख्या-1481/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 03 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उपजिला चिकित्सालय, मेला, हरिद्वार।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
7. गार्डफाइल।


(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1482/XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 03 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवाओं के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अपोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करत हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महादय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 पंकज कु0 शर्मा, संयुक्त निदेशक (निश्चेतक)	1153/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	आई0सी0यू0 उप जिला चिकित्सालय, मेला, हरिद्वार।	सी0एच0सी0, रायपुर, देहरादून	धारा-13(4) के अन्तर्गत गम्भीर रूप से रोगग्रस्त होने के दृष्टिगत सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

2315
JDLA)

4-7-26

11/07/26

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:-1प/रा0पु0/7/2026/22162

देहरादून: दिनांक 04 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय
आदेश संख्या-1482/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 03 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, मेला, हरिद्वार।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
7. गार्डफाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1483 / XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 07 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस10 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० मणि भूषण पंत, चिकित्साधिकारी ग्रेड-1	1347/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	आई0सी0यू0, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़।	जिला चिकित्सालय, नैनीताल	धारा-13(4) के अन्तर्गत गम्भीर रूप से रोगग्रस्त होने के दृष्टिगत सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

2314
TDC(A)
4-7-26

CSO I
4/7/26
04/07/26

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:-1प/रा0पु0/7/2026/ 22163

देहरादून: दिनांक 04 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय
आदेश संख्या-1483/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 03 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
4. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़/नैनीताल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
7. गार्डफाइल।

(प्रीति पन्त)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)